सत्यमेव जयते

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना की मूल्यांकन उप समिति की दिनांक 23.09.2016 को आयोजित बैठक- कार्यवृत्त

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटना की श्री मनोज कुमार वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना एवं अध्यक्ष, नराकास(बैंक), पटना की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2016 को आयोजित 65वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में समिति की मूल्यांकन उप समिति की एक बैठक 23.09.2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में आयोजित की गई। उक्त बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची संलग्न है। बैठक के आरंभ में सदस्य सचिव ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद बैठक की कार्रवाई आरंभ हुई। बैठक में निम्नांकित मुद्दों पर चर्चा की गई तथा विभिन्न निर्णय लिए गए:

1. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएँ/प्रशिक्षण कार्यशाला**

   (क) भारतीय रिज़र्व बैंक - यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यशाला तथा यूनिकोड टंकण प्रतियोगिता

   (ख) बैंक ऑफ इंडिया - हिंदी निबंध प्रतियोगिता

   (ग) केनरा बैंक - चित्र कहानी लेखन प्रतियोगिता

   (घ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - वाद-विवाद प्रतियोगिता

(ङ) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - क्विज प्रतियोगिता

(च) सिंडीकेट बैंक- क्विज प्रतियोगिता

(छ) देना बैंक - चित्र कहानी लेखन प्रतियोगिता

(ज) इंडियन ओवरसीज बैंक - ऑनलाइन हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता

(झ) इलाहाबाद बैंक - ऑनलाइन हिंदी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता

(ञ) बैंक ऑफ बड़ौदा - ऑनलाइन कार्यालयीन पत्र लेखन प्रतियोगिता

(ट) यूको बैंक - स्वरचित हिंदी कविता प्रतियोगिता

यह निर्णय लिया गया कि सभी ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के लिए इच्छुक स्टाफ-सदस्यों के नाम तथा ई-मेल आईडी सभी सदस्य बैंकों से दो दिन पहले मँगायी जाए तथा प्रश्न-पत्र की सामग्री संबंधित स्टाफ-सदस्यों को सीधे ई-मेल से भेजी जाए ताकि वे अपने उत्तर की प्रविष्टि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आयोजन कर्ता बैंक को सीधे भेज सकें।

2. **<u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना की वेबसाइट बनाए जाने, उसके रखरखवाव तथा उसको अद्यतन करने के लिए कार्यदल का गठन</u>**

बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना की वेबसाइट बनाए जाने के लिए तथा उसके रखरखाव एवं उसको नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए उप समिति के सदस्यों में से एक कार्यदल के गठन का निर्णय लिया गया। इस कार्यदल में निम्नांकित सदस्यों को शामिल किया गया :

(**क**) श्री विजय कुमार पांडेय, राजभाषा अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(**ख**) श्री राधेश्याम मिश्रा, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

(**ग**) सुश्री नेहा रंजन, राजभाषा अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

(**घ**) सुश्री विनीता कुमारी, राजभाषा अधिकारी, केनरा बैंक

(ङ) श्री इरफान आलम, राजभाषा अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) पटना की 65वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि समिति की हिंदी गृहपत्रिका "पाटलिपुत्र प्रभा" को हार्ड कॉपी के साथ-साथ ई-मैगज़िन स्वरूप में भी प्रकाशित किया जाए। तदनुसार, वर्तमान छमाही में इस पत्रिका के प्रकाशन के संयोजन का दायित्व सिंडीकेट बैंक को सौंपा गया है।

4. उप समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना के सदस्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान की बढ़ी हुई शेष राशि 15 अक्टूबर 2016 तक समिति के बैंक खाते में जमा कर दी जाए।

5. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मूल्यांकन उप समिति की आगामी बैठकों में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों को आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।

अंत में सदस्य सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई

अनुमोदन एवं आदेश हेतु प्रस्तुत

कुमार परिमलेन्दु सिन्हा
(कुमार परिमलेन्दु सिन्हा) 29/9/2016
सदस्य-सचिव

अध्यक्ष महोदय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना, कृपया

संयोजक : भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना- 800 001, बिहार
दूरभाष (सदस्य सचिव) : 0612- 2320931 मोबाइल : 9973137282 ई-मेल: rajbhashapatna@rbi.org.in